न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर लालसोट जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी :— मनमोहन मीना, आर.ए.एस.
अति0 जिला कलक्टर, लालसोट

मुकदमा नंबर :— जीसीएमएस नंबर 2023/331
मैन्युअल नंबर 42/2023

रजु दिनांकः :— 27.09.2023

1. शम्भूदयाल पुत्र स्व0 श्री राजूदास जाति महन्त (ब्राह0) निवासी ग्राम राजौली तह0 लालसोट जिला दौसा

(निगरानीकर्त्ता)

बनाम

1. कैलाश पि0 गजानन्द
2/1 संतोष देवी बेवा स्व0 भगवान सहाय
2/2 अजय पुत्र स्व0 भगवान सहाय
2/3 मेघा पुत्री स्व0 भगवानसहाय
2/4 वर्षा पुत्री स्व0 भगवानसहाय
} समस्त जाति महन्त (ब्राह0) निवासी राजौली
3. गीता देवी पत्नी जगदीश
4. गिरधारी पुत्र स्व0 जगदीश
} जाति महन्त (ब्राह0) निवासी लिवाली तह0 बामनवास
5. शीला देवी पत्नी बाबूलाल बैरवा निवासी ग्राम राजौली तह0 लालसोट जिला दौसा
6. ग्राम पंचायत राजौली जरिये सरपंच

(गैर निगरानीकर्त्ता)

उपस्थितः— 01. निगरानीकर्त्ता की ओर से : पं0 रामबाबू शर्मा एडवोकेट
02. गैर निगरानीकर्त्ता नं. 1 की ओर सेः : श्री अनूप माठा एडवोकेट
02. गैर निगरानीकर्त्ता नं. 5 की ओर से : श्री रमेश चन्द सैनी एडवोकेट

निर्णय दिनांकः 16/12/24

निगरानी अंतर्गत धारा 97 राज0 पंचायत एक्ट 1994 विरूद्ध पट्टा सं0 19 जो दिनांक 21.02.1983 को अधीनस्थ ग्राम पंचायत राजौली द्वारा जारी किया गया है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकार की ओर से ग्राम पंचायत राजौली द्वारा जारी पट्टा सं0 19 दिनांक 21.02.1983 के विरूद्ध एक निगरानी अंतर्गत धारा 97 राज0

पंचायत एक्ट 1994 विरूद्ध पेश की गई। निगरानीकार के कथन है कि ग्राम पंचायत राजौली द्वारा गैर निगरानीकर्त्ता के पितागण गजानन्द शिवप्रसाद के हक में जारी पट्टा सं0 19 दिनांक 21.02.1983 कानून के खिलाफ होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा ग्राम पंचायत राजौली की आबादी भूमि में जारी नहीं कर प्रार्थी निगरानीकर्त्ता की खातेदारी भूमि ख0नं0 21 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा भूमि के रकबे में जारी कर दिया जो निरस्तनीय है।

निगरानीकार के अभिवचन है कि प्रश्नगत पट्टे को जारी करने से पूर्व अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा राज0 पंचायत एक्ट में बनाये गये नियम 140 से 162 तक के प्रावधानो की अनदेखी करते हुये विवादित पट्टा जारी कर दिया जबकि पट्टा देने से पहले आवेदक के आवेदन को दर्ज किया जाता है उसके बाद वार्ड पंचो द्वारा मौका देखा जाता है तत्पश्चात् पटवारी हल्का से इस आशय की रिपोर्ट भी ली जाती है कि जिस भूमि में पट्टा जारी किया जाने वाला है वह भूमि आबादी है या खातेदारी भूमि। इस तथ्य की जांच किये जाने के उपरांत ही नजराना जमा कर पट्टा जारी किया जाता है परन्तु अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा बिना इस तथ्य की जांच व सारे नियम कायदो को ताक में रखते हुए प्रश्नगत पट्टा जारी कर दिया है जो निरस्तनीय है।

निगरानीकार ने निगरानी के साथ प्रार्थना पत्र दफा–5 कानून मियाद पेश कर ग्राम पंचायत राजौली द्वारा जारी पट्टा सं0 19 दिनांक 21.02.1983 निरस्त फरमाने का निवेदन किया है।

निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर निगरानीकारान की तलवी की गई। ग्राम पंचायत राजौली से पट्टे से संबंधित मूल अभिलेख तलब किये जाने पर ग्राम विकास अधिकारी व सरपंच, ग्राम पंचायत राजौली द्वारा पत्रांक/ग्रा.पं./राजौली/2019/06–7 दिनांक 10.06.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत में उक्त पट्टे से संबंधित कोई पट्टा पत्रावली या अन्य दस्तावेज नही होना अवगत करवाया गया। गैर निगरानीकार भगवानसहाय की मृत्यु हो जाने पर उसके वारिसान को रिकॉर्ड पर लिये जाने बाबत निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कायमी मुकामान स्वीकार होकर संशोधित उनवान पेश हुआ जो शामिल मिसल किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता निगरानीकर्त्ता ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए ग्राम पंचायत राजौली द्वारा जारी पट्टा सं0 19 दिनांक 21.02.1983 निरस्त फरमाने का निवेदन किया है। जिसका विरोध करते हुए अधिवक्ता गैर निगरानीकर्त्ता श्री रमेश चन्द सैनी ने कहा कि निगरानीकर्त्ता का उक्त पट्टे से कोई संबंध सरोकार नही है अतः निगरानी खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। इसके उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि निगरानीकर्त्ता की निगरानी स्वीकार किया जाना उचित है अतः निगरानीकर्त्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत राजौली द्वारा जारी पट्टा सं0 19 दिनांक 21.02.1983 निरस्त किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 1.6.12.2024 को सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(मनमोहन मीना आरएएस)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
लालसोट,दौसा